राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2011/12 दिनांक : 29-4-11

कार्यालय–आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक : प 3 (25)नविवि/3/2006 दिनांक 13.04.2011 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग, अल्प आयवर्ग एवं मध्यम आयवर्ग के मकानो पर मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज और शास्ति में जो छूट दिनांक 30.06.2010 तक बढाई गई थी उसे राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 3 (25)नविवि/3/2006 दिनांक 3.04.2011 के द्वारा दिनांक 30.06.2011 तक बढाई गई है।

ध्यान रहे कि उक्त छूट उन्हीं प्रकरणों में दी जानी है जिनके प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2010 तक मण्डल कार्यालय में प्राप्त हो चुके है उन्हें छूट का लाभ दिनांक 30.06.2011 तक देय होगा।

अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि 31.03.2010 तक प्राप्त ऐसे सभी प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 30.06.11 तक आवश्यक रूप से कर लिया जावे। दिनांक 30.06.11 के बाद ऐसा कोई प्रकरण अनिस्तारित रहने पर संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता की जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख निजी सचिव– अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
5. सचिव, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक विधि, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय पी.एण्ड.एम./निजी सचिव–वित्तीय सलाहकार/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
8. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त वृत .... रा. आ. म. ....
10. आवासीय अभियन्ता, राज.आवा. म. ....
11. लेखाधिकारी(वसूली)/सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल, वृत ....
12. कम्पयूटर प्रकोष्ठ, राज. आवा. मण्डल, जयपुर। वेबसाईट पर डालने एवं ई मेल द्वारा सूचित करने हेतु
13. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार